(93)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5501/2018/ग्वालियर/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 25-10-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 432/अपील/2015-16

शिवहरे रोड लाईन
द्वारा दीपक चन्द्र शिवहरे पुत्र श्री सुरेश चन्द्र शिवहरे
निगवासी गांधी नगर ग्वालियर
म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

जय मातादी इंटरप्राइजेज
द्वारा पार्टनर - नरेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री रामसेवक यादव
निवासी कोटेश्वर कॉलोनी
ग्वालियर म0प्र0

.....अनावेदक

श्री अरूण दूदावत, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक एकपक्षीय

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/3/19 **को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-10-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक की ओर से सुरेश शिवहरे के द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष एक आवेदन ग्राम बहोडापुर के सर्वे क्रमांक 673 कुल रकबा

0.763 हेक्टेयर में से क्रय किये गये रकबा 0.293 हेक्टेयर भूमि का बटांकन किये जाने का प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करते हुये दिनांक 21-1-2016 को राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर बटांकन का आदेश पारित किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29-4-2016 को अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25-10-2017 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय व अनुविभगीय अधिकारी न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को पुन:विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) संहिता में वर्ष 2011 में हुये संशोधन के बाद किसी भी अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील प्रत्यावर्तित करने का अधिकार नहीं है, जबकि अपर आयुक्त द्वारा संहिता के विपरीत द्वितीय अपील को प्रत्यावर्तित किया गया है जो विधिसम्मत् आदेश नहीं है ।

(2) अनावेदक द्वारा फर्द बटांकन अथवा कब्जे के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की बल्कि अपर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील में अनावेदक द्वारा स्वयं स्वीकार किया है कि आवेदक उसी भूमि पर काबिज है, जो उसे बटांकन में दी गई है ।

(3) अनावेदक द्वारा बटवारा हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसमें उसके द्वारा एस0के0ग्रेनाइड को ही पक्षकार बनाया है क्योंकि एस0के0ग्रेनाइड से ही उसके हिस्से की भूमि में से भूमिक्रय की गई है तथा एस0के0ग्रेनाइड से अनावेदक बटांकन एवं बटवारा कराने का अधिकारी है । इस तथ्य को अपर आयुक्त द्वारा नजरअंदाज करते हुये आधारहीन आदेश पारित किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

4/ अनावेदकपक्ष के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण में अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेश आवेदक की अनुपस्थिति में हुआ है । अत: जानकारी दिनांक से निगरानी समय सीमा में मान्य की जाती है । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में अनावेदक की उपस्थिति में तथा उसकी आपत्ति के निराकरण के बाद ही बंटाकन की कार्यवाही हुई है । अनावेदक की एक मात्र आपत्ति नगरीय क्षेत्र में बंटाकन का अधिकार नहीं होने की थी, जबकि यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि भू-अभिलेख तथा नक्शे में अंकित होने से तहसीलदार को उसे बटांकन का पूर्ण अधिकार था, अत: तहसील न्यायालय ने सही ही उनकी आपत्ति निरस्त की है । बंटाकन के मेरिट पर अन्य कोई आब्जेक्शन अनावेदक ने अन्य किसी भी स्तर पर नहीं उठाया है । अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि की है । अपर आयुक्त ने सूचना / प्रकाशन आदि बिन्दुओं पर अपील स्वीकार की है, जबकि तहसील न्यायालय के आदेश से एक मात्र अनावेदक ही परिवेदित है, क्योंकि केवल उसने ही अपील आदि की कार्यवाही की है तथा तहसील न्यायालय में वह उपस्थित रहा है तथा उसे सुना गया है । अत: अपर आयुक्त के समक्ष तहसील न्यायालय व अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षो में फेरबदल के पर्याप्त आधार नहीं थे, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-10-2017 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर